

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच जिला नीमच (म.प्र.)
::विविध आदेश::

क्रमांक:- 42/लेखा/2021

नीमच, दिनांक 01/05/2021

01- वर्तमान में नीमच जिला कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से अत्याधिक प्रभावित है। इसी तारतम्य में जिला अभिभाषक संघ नीमच, जावद व मनासा के अध्यक्ष से दूरभाष पर चर्चा की गयी है। आज की स्थिति में जिला न्यायालय नीमच में पदस्थ 06 न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारी, विचाराधीन बंदी कोरोना से संक्रमित होकर अभी ईलाजरत है एवं 02 न्यायिक अधिकारी व 03 कर्मचारीगण होम क्वारन्टाईन है तथा जिला दण्डाधिकारी नीमच के आदेश क्रमांक 561/सां.लेख/2021 नीमच, दिनांक 28/04/2021 के अनुसार नीमच जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 10.05.2021 प्रातः तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है और यह निर्देशित किया गया है कि उक्त समय तक उक्त क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

02- ऐसी स्थिति में जिला दण्डाधिकारी नीमच के उक्त आदेश और माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के एसओपी क्र.-ए/113 दिनांक 15/01/2021, क्र. ए/1149 दिनांक 03/04/2021 एवं एसओपी दिनांक 20/04/2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं हृद्देश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए दिनांक 03/05/2021 से 08/05/2021 तक जिला न्यायालय नीमच एवं उसकी समस्त तहसीलों जावद/मनासा/रामपुरा के लिए अकार्य दिवस घोषित करता हूं। इस दौरान नियमित न्यायालयीन कार्य (परिवार न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड सहित) बंद रहेगा।

03- इस दौरान अत्यावश्यक प्रकृति (जमानत, सुपुर्दगीनामा, धारा 164 दंप्रसं के कथन, रिमांड, अंतिम प्रतिवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो न्यायालय के मत में त्वरित सुनवायी योग्य हों) के मामलों की सुनवाई दोपहर पश्चात् 03:00 से 05:00 बजे के मध्य केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जावेगी। आवश्यक कार्य निष्पादित कर रहे न्यायाधीशगण अपवादित स्थिति (वी.सी. से सुनवायी न होने की स्थिति) में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अधीन भौतिक सुनवाई कर सकेंगे।

04- सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन/अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन वर्चुअल माध्यम से आवश्यक कार्य निष्पादित करने वाले विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा ही निराकृत किये जायेंगे। रिमांड के समय जमानत आवेदन deemed Transfer माना जायेगा।

05- उक्त दिनांकों में अत्यावश्यक कार्य हेतु निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थ पदस्थ स्टॉफ सहित वर्चुअल रूप से न्यायालय में 03:00 से 05:00 बजे के मध्य अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे:-

जिला मुख्यालय नीमच

01	श्री विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, नीमच	03, 04, 05, 06 मई 2021
02	श्री अजयसिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच	07, 08 मई 2021
01	श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच	03, 04 मई 2021
02	डॉ. श्री मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच	05, 06, 07 मई 2021
03	श्री सदाशिव दांगौडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच	08 मई 2021

तहसील मनासा

01	श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा	03 मई से 08 मई 2021 तक
----	---	------------------------

तहसील जावद

01	श्री एन.एम. सिंह मीणा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश जावद	03 मई से 08 मई 2021 तक
----	---	------------------------

02	श्री रूपसिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद	03, 04, 05 मई 2021
----	--	--------------------

03	श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद	06, 07, 08 मई 2021
----	--	--------------------

नोट—

- (01)— वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, कोरोना पॉजीटिव होकर होम आईसोलेशन में रहते हुये ईलाजरत हैं इसलिए उक्त अवधि में किशोर न्याय बोर्ड का कार्य किशोर न्याय बोर्ड के अन्य सदस्य उक्त दिनांक और समय 03:00 बजे से 05:00 बजे तक किशोर न्यायालय में संपादित करेंगे।
- (02)— यह आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच पर भी प्रभावशील रहेगा।
- (03)— उक्त समयावधि में न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की अति आवश्यक कार्य हेतु 03:00 बजे से 05:00 बजे की ड्यूटी लगायी गयी है उस दौरान नीमच न्यायालय पर उपस्थित प्रशिक्षु सिविल जज संपूर्ण अवधि में संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ उपस्थित होकर उनकी सहायता रिमाण्ड कार्य में करेंगे।
- (04)— वर्तमान में श्री अखिलेश कुमार धाकड़, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनासा के कोरोना पॉजीटिव होकर होम आईसोलेशन में होने से उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य नीमच मुख्यालय पर सम्पादित किया जायेगा और उनके स्वस्थ होकर कर्तव्य पर उपस्थित होने की दशा में उनके द्वारा उक्त समय में कार्य सम्पादित किया जायेगा।
- (05)— उपरोक्त वर्णित न्यायाधीश के उपलब्ध न होने/अस्वस्थ रहने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश कार्य करेंगे। इसी प्रकार पूर्व में घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथियों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड से संबंधित कार्य करेंगे।

06— केन्द्रीय पंजीयन हेतु निम्नानुसार प्रत्येक अकार्य दिवस में एक कर्मचारी उक्त समयावधि में उपस्थित होकर कार्य निष्पादित करेंगे:-

01	श्री ब्रजेश कुमार पांडे, फाईलिंग क्लर्क, सर्वर रूम	03 मई से 05 मई 2021 तक
----	--	------------------------

02	श्री अंशु सिंघल, तलवाना, सर्वर रूम	06 मई से 08 मई 2021 तक
----	------------------------------------	------------------------

नोट:- अपवादित परिस्थितियों में ही न्यायालय के फाईलिंग काउंटर में आवेदनपत्र दोपहर पश्चात, 03:00 से 05:00 बजे के मध्य कोविड-19 के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इन दोनो में से किसी एक के अस्वस्थ होने पर दूसरा कर्मचारी उक्त अवधि में कार्य सम्पादित करेगा।

07— श्री आनंद यादव, जुनियर सिस्टम एनालिस्ट एवं श्री दिलीप चिकाने, सिस्टम असिस्टेंट सर्वर रूम में प्रत्येक अकार्य दिवस में दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे। तहसील मुख्यालय जावद पर श्री प्रदीप राठौर, आई.टी.असिस्टेंट एवं मनासा में श्री राजेश मिश्रा, सहायक ग्रेड-3, उक्त कार्य का संचालन करेंगे ताकि कोई भी प्रकरण अदिनांकित न रहे।

08— इसके साथ ही उक्त निर्देशों के पालन में नीमच जिले के समस्त न्यायालयों में उक्त अवधि में नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु निम्नानुसार आगामी तिथियों नियत की जाती है:-

<u>दिनांक</u>		<u>आगामी दिनांक</u>
03/05/2021	—	19/07/2021
04/05/2021	—	20/07/2021
05/05/2021	—	22/07/2021
06/05/2021	—	23/07/2021
07/05/2021	—	24/07/2021
08/05/2021	—	26/07/2021

09— उक्त अवधि में यथासंभव समस्त अर्जेंट प्रकृति के मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य वर्चुअल माध्यम से की जायेगी। पक्षकार/अधिवक्तागण जमानत व अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के अन्य आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से ईमेल आई.डी. dcourtnee-mp@nic.in पर भेज सकेंगे। ईमेल करने अथवा व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई में तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर श्री आनंद यादव, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट (मो.नंबर-9721280870), श्री दिलीप चिकाने, सिस्टम असिस्टेंट (मो.नंबर-9584201487) पर संपर्क करे। तहसील जावद के लिये श्री प्रदीप राठौर, आई.टी.असिस्टेंट (मो.नंबर-9424034007) को ईमेल आई.डी. jawad@mphc.in पर एवं तहसील मनासा के लिए श्री राजेश मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 (मो. नंबर-9752058882) ईमेल आई.डी. ecourts-mp4401@indiancourts.nic.in पर सुपुर्दगी व जमानत आवेदन पत्र भेजे जायेंगे और तकनीकी समस्या आने पर मोबाईल पर इनसे संपर्क कर सकेंगे।


10— ऐसे अर्जेंट प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक मामले जिनकी सुनवायी तत्काल किया जाना आवश्यक हो, ऐसे मामलों की सुनवायी संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा रिमांड अवधि में की जायेगी।

11— समस्त प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक दिनांक 03 मई से 08 मई 2021 में नियत समस्त प्रकरणों की सी.आई.एस. साफ्टवेयर में आगामी उपरोक्त नियत दिनाकों की प्रविष्टि इस प्रकार करना सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि में कोई भी प्रकरण अदिनांकित न रहे और उक्त नियत दिनाकों की प्रति नियमानुसार न्यायालय के बाहर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

12— उक्त अवधि में नियत **विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरण 15 दिवस की अवधि** के अंदर सुनवाई में लिये जायेंगे।

13— कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी एसओपी दिनांक 15/01/2021, 03/04/2021 एवं 20/04/2021 एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त परिपत्र व विविध आदेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 03/05/2021 से 08/05/2021 तक के लिए प्रभावशील रहेगा।



(हृदेश)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्र. /लेखा/ 2021 नीमच, दिनांक 01/05/2021
प्रतिलिपि:-

- 01— श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 02— श्रीमान प्रिसिंपल रजिस्ट्रार, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की ओर श्रीमान पोर्टफोलियो जज महोदय के समक्ष रखने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
- 03— श्रीमान जिला न्यायाधीश, निरीक्षण, माननीय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर की ओर सूचनाार्थ

- प्रेषित।
- 04— कुटुंब न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण नीमच/मनासा/जावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
 - 05— कलेक्टर, नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 06— पुलिस अधीक्षक, नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 07— समस्त प्रभारी अधिकारी, नजारत/कम्प्यूटर अनुभाग, नीमच
 - 08— अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, नीमच/मनासा/जावद/रामपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 09— सी.एम.ओ., नीमच/जावद/मनासा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 10— सी.एच.एम.ओ., जिला चिकित्सालय नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 11— जेल अधीक्षक, जेल नीमच/जावद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।
 - 12— कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी, नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 13— लोक अभियोजन कार्यालय नीमच की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।
 - 14— लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक नीमच/मनासा/जावद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।
 - 15— अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, नीमच की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
 - 16— प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अनुभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, नीमच की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं सभी तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित करें।
 - 17— प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 18— सिस्टम आफिसर सर्वर रूम जिला न्यायालय नीमच की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायिक अधिकारीगण व कर्मचारीगण को ईमेल व व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से सूचित किये जाने व जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।


(हृदेश)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच जिला नीमच (म.प्र.)